According to the surveys conducted, noise levels are high in certain localities of some metropolitan cities of India. Noise levels prevailing in the cities and towns studied range from 57 decibles to 91 decibles.

(b) The steps taken to control noise pollution in urban areas include:

Controlling use of loudspeakers.

Declaration of silence zones in sensitive areas.

Noise is included as a subject in the Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1987.

The Environment (Protection) Act, 1986 also includes provision for enabling enforcement of noise pollution control measures.

Restriction on use of lound and electric horns in vehicles.

Regulated movement of heavy vehicles; and

Segregating industries from residential areas using proper landscape management.

Package programme for small farmers by insurance companies

2484. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any comprehensive package has been worked out by the insurance companies for small farmers to provide for various types of risks faced by them; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Various package policies are being offered by the subsidiaries of the General Insurance Corporation of India to small farmers which provide covers for various properties belonging to farmers against risks of fire, lightning, strikes, malicious damage, flood, hurricane, tempest and such other natural calamities like earthquake, landslides, etc. The basic cover granted is for personal accident, dwelling and its contents and cattle insurance. Such policy can also cover property such as bullock cart, agricultural pumpsets, pedal cycle, input cost of seeds and pesticides and such other property for which the farmers may require a cover.

भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी सप्लाई न किया जाना

2485. **श्री राम जेठमलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 30 अक्तूबर, 1988 को उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के लिए पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं न जुटाए जाने के कारण इस संबंध में निदेश दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा इस प्रकार के निदेश जारी किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) भारतीय किसान यूनियन की रैली को पीने के पानी की सप्लाई रोके जाने के आरोप में उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई । उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश जारी किया :—

"निर्गम नोटिस 1-11-1988 को प्रत्यावर्तनीय/भारतीय किसान यूनियन के समुचित प्रतिनिधि पानी की सप्लाई तथा अन्य अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से अनुरोध करने के लिए अभ्यावे

दे सकते हैं जो याचिका में उल्लिखित स्थिति में सामान्य तौर पर मुहैया करायी जाती है । यदि ऐसा अभ्यावेदन किया जाता है तो उक्त प्राधिकारियों द्वारा इस पर कानून के अनुसार शीघ्र विचार किया जाना चाहिए । सामान्य सेवा के अतिरिक्त दस्ती सेवा की अनुमति दी जाती है ।"

2. नई दिल्ली नगर पालिका के प्रशासक ने स्पष्ट किया है कि भारतीय किसान यूनियन को केवल 25 अक्तूबर, 1988 के लिए ही रैली की अनुमति दी गई थी और दिल्ली पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन रैली की मांग को पूरा करने के लिए उपयुक्त संख्या में वाटर टैंकर/ट्रालियां भेजने का अनुरोध किया था । तदनुसार, 3 टैंकर और 12 ट्रालियां खड़ी की गई खड़ी की गई 15 ट्रालियों/टैंकरों को पुनः भरने के लिए चार टैंकर भी लगाए गए थे । भारतीय किसान यूनियन रैली को बाद में धरने में बदल दिया गया । दिल्ली पुलिस की मांग पर वाटर टैंकर/ट्रौली की सुविधा 26, 27 और 28 अक्तूबर, तक बढा दी गई । इसके बाद रैली में भाग लेने वालों के टैंकरों/ट्रालियों की बेतरकीब पार्किंग के कारण ट्रालियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया और ट्रालियों को चलाना अथवा पानी भरने के लिए नए टैंकर भेजना असम्भव हो गया । कुछ प्रदर्शनकारियों ने ट्रालियों में पानी भरने के लिए टैंकरों को आने-जाने नहीं दिया इसलिए नई दिल्ली नगर पालिका ने निकट के क्षेत्र पर 4 टैंकर खड़े किये दो रफी मार्ग पर तथा दो जनपथ पर ।

3. यह देखा गया कि प्रदर्शनकारी पीने तथा प्रक्षालन प्रयोजनों के लिए बिना फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल कर रहे थे । चूंकि कच्चा पानी व्यक्तियों द्वारा पीने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे आन्त्रशोथ, हैजा इत्यादि जैसी महामारी फैल सकती है, इसलिए उन्होंने 29 अक्तूबर, 1988 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से बिना फिल्टर किए हुए पानी की सप्लाई रोकने का अनुरोध किया । किसी भी समय, बिना फिल्टर किए हुए पानी की सप्लाई को छोड़ कर पानी की सप्लाई नहीं रोकी गयी और जहां तक सम्भव था, टैंकर फिल्टर किये हुए पानी की सप्लाई नियमित रूप से करते रहे ।

Sikhs killed in Trains/Railway Station premises in November, 1984 Riots

2486. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of Sikhs killed while travelling by train or within the premises of railway stations during November, 1984 riots;

(b) what is the estimated value of the property of the victims looted/damaged;

(c) whether any relief has been provided to the next of kin of the deceased as on date; and

(d) whether any claims are pending in this respect for settlement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) Cases of crime on Railways are reported to, registered and investigated by the State Government agencies including Government Railway Police, which functions under the control of State Governments. The details of crimes occurring on various trains and the information in respect of estimated value of the property of the victims looted or damaged, the relief provided and the pending claims are not compiled and tabulated by the Central agencies.

Housing scheme for handloom weavers

2487. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the Central Govern-